निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी मंत्रियों ने

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जीत का श्रेय सभी को देते हुए इसे साझा प्रयासों का परिणाम बताया

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निकाय चुनावों की तर्ज पर आगामी पंचायती राज चुनावों में भी प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए बुधवार को मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि ग्रामीण लोगों का जीवन सम्मानजनक एवं सुविधाजनक बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हमारे गांव विकसित होंगे, गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायती राज चुनाव गांवों के भविष्य और विकास की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इन चुनावों में ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाएं, जो गांव की वास्तविक समस्याओं को समझें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर "ट्रिपल इंजन" सरकार बनाने का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास की योजनाएं गांव के लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनें और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी विचार को धरातल पर

■ पंचायती राज चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए भी रणनीति बनाई भाजपा ने

उतारने के लिए प्रदेश सरकार ने विकसित गांव, विकसित वार्ड अभियान चलाया। ग्राम सभाओं के माध्यम से चौपालों पर बैठकर किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और बुजुर्गों से उनकी जमीनी आवश्यकताओं के सुझाव लिए गए। उसके आधार पर ग्राम विकास संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रदेश के ग्रामीणों की आकांक्षाओं, सुझावों और सामूहिक संकल्प का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के प्रेरणादायी सेवाकाल को समर्पित सेवा संकल्प रथ प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। इन रथों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ मिले।

मंत्रिपरिषद की औपचारिक बैठक के बाद विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने हाल ही संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इसके बाद सभी मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा को मिली शानदार जीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सफल रणनीति और बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट का परिणाम है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विजय सभी के साझा प्रयासों का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में से 202 में भाजपा के बोर्ड बने हैं। 10 नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर निर्वाचित हुए हैं। वहीं 30 नगर परिषदों और 163 नगर पालिकाओं में भाजपा के निकाय प्रमुख चुने गए हैं। प्रदेश के 9 जिलों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी।

एक लाख का इनामी मादक पदार्थ तस्कर कंवराराम बाड़मेर से गिरफ्तार

नवरात्र में घर आया था पूजा करने, नेपाल भागने की तैयारी में था आरोपी

जयपुर (कासं)। राजस्थान पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन विषकपिल' के तहत तीन साल से फरार चल रहे एक लाख रुपए के इनामी तस्कर कंवराराम को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की टॉप नार्कों-25 सूची में शामिल है और उसके खिलाफ हत्या, मादक पदार्थ तस्करी सहित 14

■ पिछले तीन साल से फरार था आरोपी, पुलिस से बचने के लिए घर में पाल रखे थे आठ कुत्ते

से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी नवरात्र में नागणेची माता की पूजा करने अपने घर आया था। पूजा के बाद वह नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले ही एएनटीएफ टीम ने उसे पकड लिया।

एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि कुख्यात तस्कर कंवराराम नवरात्र में पूजा-अर्चना करने के लिए अपने घर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर टीम ने उसके निवास के आसपास गुप्त निगरानी शुरू की। जैसे ही आरोपी घर पर नागणेची माता की पूजा कर रहा था, टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने फरारी जारी रखने के लिए बैग तैयार कर रखा था और वह नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लंबे समय से ठिकाने बदलकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार कंवराराम (35) निवासी बाडमेर है। उसने वर्ष 2009 में दसवीं तक पढाई करने के बाद छोड़ दी थी। इसके बाद पेट्रोल पंप पर सेल्समैन और फिर वाहन चालक के रूप में काम किया। वर्ष 2010 में उसके खिलाफ मारपीट और वर्ष 2013 में हत्या का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद वह गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। जेल से छूटने के बाद उसने अवैध शराब के कारोबार और फिर मादक पदार्थों की तस्करी का रास्ता अपना लिया।पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैले अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े 14 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड में कई प्रमुख मामले शामिल हैं। एएनटीएफ के अनुसार फरारी के दौरान आरोपी ने अपने घर के आसपास सुरक्षा और निगरानी का विशेष इंतजाम कर रखा था। उसने आठ पालतू कुत्ते पाल रखे थे। किसी बाहरी व्यक्ति या पुलिसकर्मी के घर के आसपास पहुंचने पर कुत्ते भौंकने लगते थे, जिससे आरोपी सतर्क हो जाता था और मौके से फरार हो जाता था। इस बार पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर निगरानी रखी और पूजा के दौरान दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया।



एएनटीएफ ने "ऑपरेशन विषकपिल" अभियान चलाकर शातिर मादक पदार्थ तस्कर कंवराराम को बाड़मेर से गिरफ्तार किया।

डीएनए करने वाले की गवाही नहीं कराई, गैंगरेप के बाद हत्या करने वालों की फांसी की सजा रद्द

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसमें अभियोजन पक्ष को अपराध की कडी से कड़ी जोडनी थी। जिसमें डीएनए रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया। इसके साथ अदालत ने मामला लालसोट की ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के तौर पर बुलाया जाए और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए। अदालत ने निचली अदालत को कहा है कि वह मामले की सुनवाई पूरी कर तीन माह में नए सिरे से फैसला करे। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस को खारिज कर आरोपियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश

■ अदालत ने मामला लालसोट की ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के तौर पर बुलाया जाए और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए।

में कहा कि ट्रायल कोर्ट के डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर रहते हुए विशेषज्ञों के बयान नहीं लिए जाने से विचारण दूषित हो गया है।

डेथ रेफरेंस में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार पूनिया ने अदालत को बताया कि कालूराम और संजू ने 23 अप्रैल, 2022 को महिला का अपहरण कर उसके साथ कार में गैंगरेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। मामले में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। ऐसे में एडीजे कोर्ट, लालसोट ने गत 19 फरवरी को दोनों अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 20 फरवरी को उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार की ओर से डेथ रेफरेंस पेश कर गुहार की गई की निचली अदालत के फैसले को कंफर्म किया जाए।

वहीं आरोपियों की ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने मामले में डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान ही नहीं लिए हैं। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. चैन सिंह ने पेश होकर माना है कि उन्हें यह रिपोर्ट तैयार होने या एफएसएल परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि जब सजा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दी गई है तो इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान जरूरी थे।

अदालत की ओर से मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता मोहित बलवदा ने भी इसे जरूरी बताया। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फांसी की सजा के आदेश को रद्द कर निचली अदालत को डीएनए करने वाले विशेषज्ञ के बयान दर्ज कर नए सिरे से मामले में फैसला करने को कहा है।

श्री गोपीनाथजी मंदिर में लगेगा छप्पन भोग

जयपुर। श्री गोपीनाथजी मंदिर में आचार्य लवभूषण के जन्मदिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर (गुरुवार) को छप्पन भोग महोत्सव आयोजित किया जाएगा।

मंदिर परिसर में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होने वाले इस आयोजन में भगवान श्री गोपीनाथजी को छप्पन भोग अर्पित कर पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। आयोजन को लेकर कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अमृता हाट में खरीददारी की

महिला स्वयं सहायता समूहों का उत्साह बढ़ाया

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला-बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार शाम जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय अमृता हाट का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं के स्टॉल पर पहुंचकर उनके उत्पादों की सराहना की, उनका उत्साहवर्धन किया और खरीददारी भी की।

दीया कुमारी ने महिलाओं को बिक्री बढाने के लिए केवल प्रदर्शनियों पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल विपणन और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचा सकती हैं। इससे उन्हें अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृता हाट में भाग ले रही महिलाओं के लिए मेले के दौरान ही डिजिटल विपणन का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमी बने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उल्लेखनीय है कि जवाहर कला केंद्र में 11 से 20 अक्टूबर तक आयोजित इस राज्य स्तरीय अमृता हाट में 170 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण और अन्य स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है।



उपमुख्यमंत्री एवं महिला-बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार शाम जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय अमृता हाट का अवलोकन किया।

मानक ही समाज, उत्पाद और विचार को श्रेष्ठ बनाते हैं : हरिभाऊ बागड़े

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि श्रेष्ठता केवल भौतिक पैमानों से नहीं, बल्कि वैचारिक, नैतिक और व्यावहारिक शुद्धता से भी तय होती है। मानक ही किसी समाज, उत्पाद या विचार को सामान्य से श्रेष्ठ बनाते हैं। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो से गुणवत्ता, मानकीकरण, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढाने का आ ान किया।

राज्यपाल बुधवार को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित विश्व मानक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में श्रेष्ठता जीवन का आधार रही है। आईएसआई मार्क और हॉलमार्क जैसे मानक विश्वास के प्रतीक हैं। मानकों के पालन से जीवन सुरक्षित और सुगम बनता है तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ती है। राज्यपाल ने उत्पादों, सेवाओं और तकनीकी क्षेत्रों के मानक निर्धारित करने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं विशेषज्ञों के योगदान की सराहना की।

महापौर-उपमहापौर ने किया स्वच्छता सेवा में श्रमदान

जयपुर। नगर निगम की ओर से शहर में स्वच्छता ही सेवा-2026 एवं विकसित भारत जन सेवा अभियान के अंतर्गत वार्ड वार विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम महापौर सुनील कोठारी ने वार्ड-135 में पहुंच कर विशेष स्वचछता अभियान का निरीक्षण किया और कमियां सुधारने को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने पार्षद विमल अग्रवाल, जोन उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सतपाल टोपिया, जितेंद्र, स्वास्थ्य निरीक्षक सुरेन्द्र , सुनील गुर्जर, जोन एक्सईएन, जोन जेईएन, नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन से संवाद किया। महापौर ने नागरिकों को कचरा निर्धारित समय पर निगम की कचरा संग्रहण गाडिय़ों में डालने तथा सड़क पर कचरा ना फैलाने के लिए जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर जयपुर के निर्माण में नगर निगम के साथ जनभागीदारी भी आवश्यक है। इस अवसर पर महापौर ने भी स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। पार्षद, जोन उपायुक्त, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी

■ दोनों ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण भी किया

सफाई कार्य में सहयोग किया।

महापौर द्वारा वार्ड 16 में चौमूं पुलिया पर अभियान का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान वार्ड के ब्लॉक अनुसार कर्मचारियों का आवंटन एवं समस्त शाखाओं से वार्ता एवं सफाई व्यवस्था के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। वार्ड नम्बर 33 में आयोजित स्वच्छता उत्सव में उपमहापौर सरोज कंवर भी पहुंची। उप महापौर की उपस्थिति में वार्ड पार्षद सीमा महेंद्र यादव, वार्ड समिति अध्यक्ष, विद्युत विभाग, गार्डन शाखा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं टीम को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सफाई कर्मियों द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्वच्छता श्रमदान किया गया तथा विशेष सफाई अभियान चलाकर वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर एवं प्रभावी बनाने के लिए उपमहापौर ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

"शब्द शक्ति-संगम" में गूंजा नारी शक्ति का वैचारिक जयघोष

जयपुर। "शब्द रसायन" संस्थान की ओर से बुधवार को रामबाग स्थित एस. एस. जैन सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में "शब्द शक्ति-संगम" आयोजित किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी एवं भारतीय कोच सुरभि मिश्रा, भारत की पहली महिला आईएनएस विक्रमादित्य कमांडर प्रियंका चौधरी तथा प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं स्तंभकार प्रो. ऋतु सारस्वत ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया।

संस्थान के निदेशक डॉ. रेवंत दान और मानद सचिव मुरारी गुप्ता ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और वैचारिक संस्कारों से जोड़ना था। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. रेणु जोशी ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. रेवंत दान ने विषय की प्रस्तावना रखी, जबकि मुरारी गुप्ता ने 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता की जानकारी दी। सुरभि मिश्रा ने अस्थमा की समस्या के बावजूद स्क्वैश में करियर बनाने के अपने संघर्ष को साझा करते हुए युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने का संदेश दिया। प्रियंका चौधरी ने नौसेना में अपने अनुभवों और साहसिक अभियानों में भागीदारी के बारे में बताया।

गहलोत स्पष्ट करें, पायलट के साथ हैं या आज भी पुराने बयान पर कायम हैं : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए परिसीमन, महिला आरक्षण और कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गहलोत पहले स्पष्ट करें कि वे सचिन पायलट के साथ हैं या आज भी उन्हें पहले की तरह नाकारा और निकम्मा मानते है। राठौड़ ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि, "गहलोत साहब की कुर्सी की चाह, छटपटाहट और खीझ उनके बयानों से स्पष्ट होती है। परिसीमन के नाम पर अर्नगल बयानबाजी करने वाले अशोक गहलोत खुद यह भूल रहे हैं कि, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए नगर निकायों का परिसीमन इस तरह करवा चुके हैं कि भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो। उन्होंने कहा कि अब परिसीमन का मुद्दा उठाकर कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार, कांग्रेस कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर है, इसलिए उसे अपनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।"महिला आरक्षण के मुद्दे पर राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं को अधिकार देने की प्रक्रिया में बाधाएं खड़ी कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की बात कही गई थी। राठौड़ ने कांग्रेस और चीन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि देश को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर जनादेश और संविधान की व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। राठौड ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका की अपनी व्यवस्थाएं एवं मर्यादाएं हैं, जिनका पालन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए।

प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए डीजीपी ने कसी पुलिस की लगाम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत रखने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय में बुधवार को अपराध एवं कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े पुलिस अधिकारियों को पूर्ण सतर्कता बरतने और प्रत्येक परिस्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित प्रकरणों के निस्तारण, संवेदनशील घटनाओं की निगरानी,

■ अपराध नियंत्रण से लेकर चुनाव सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर निर्देश दिए

अपराध नियंत्रण, आगामी पंचायती राज चुनावों और पर्व-त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विवादित मामलों की होगी नियमित समीक्षा

डीजीपी शर्मा ने कहा कि जिन विवादित मामलों से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, उन्हें प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए। ऐसे मामलों की सूची तैयार कर थाना, वृत्त और जिला स्तर पर



महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा

नियमित निगरानी की जाए। राजस्व, वन विभाग सहित संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए। विवादों को गंभीर रूप लेने से रोकने के लिए समझाइश, निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य वैधानिक उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए।

पुलिसकर्मियों के आचरण पर भी नजर

बैठक में पुलिसकर्मियों की अपराधों में संलिप्तता के मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कार्मिकों की पहचान, निगरानी और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

डीजीपी ने कहा कि पुलिस थानों और फील्ड में तैनात कार्मिकों का व्यवहार आमजन के प्रति संवेदनशील, सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक होना चाहिए। परिवादियों की नियमित सुनवाई कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई

डीजीपी ने हाल में हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए संवेदनशील और गंभीर मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावी पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए। घटनाओं की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने, तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने और प्रेस तथा सोशल मीडिया के माध्यम से समय पर तथ्यपरक जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुराने मामलों के निस्तारण की जवाबदेही

पुलिस थानों में लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए डीजीपी ने स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा संबंधित पुलिस अधीक्षक करेंगे, जबकि तीन वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामलों की समीक्षा रेंज आईजी करेंगे।

पुराने मुकदमों के साथ लंबित चालान और अंतिम रिपोर्ट (एफआर) के निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा मामलों में आ रही बाधाओं को दूर करने पर भी जोर दिया गया।

अपराध बढ़ने वाले जिलों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश

डीजीपी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दर्ज प्रकरणों में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि वाले जिलों को अपराधों का विश्लेषण कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। महिला अत्याचार के मामलों में अधिक वृद्धि वाले जिलों को कारणों की समीक्षा कर ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपेक्षाकृत कम प्रकरण दर्ज करने वाले जिलों को मादक पदार्थों के विरुद्ध सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत कम कार्रवाई करने वाले जिलों की भी समीक्षा कर अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।

पंचायती राज चुनाव और त्योहारों पर पुख्ता सुरक्षा

आगामी पंचायती राज चुनावों और पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जिलों को आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता, असामाजिक तत्वों की पहचान, निरोधात्मक कार्रवाई, नियमित गश्त और प्रभावी नाकाबंदी सुनिश्चित करने को कहा गया। डीजीपी ने कालिका पेट्रोलिंग इकाइयों की फील्ड में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

नाकाबंदी में बॉडी कैमरे, यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

डीजीपी ने नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरों का उपयोग करने के निर्देश दिए। शराब पीकर वाहन चलाने, संदिग्ध वाहनों और तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस का प्रतिक्रिया समय न्यूनतम रखने और घटनास्थल पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

साइबर अपराधों में जीरो एफआईआर पर जोर

अपराधों की रोकथाम के लिए निरोधात्मक और सक्रिय पुलिसिंग मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज (राजपासा), बीएनएस की संबंधित धाराओं, गुंडा एक्ट और एनडीपीएस से जुड़े निरोधात्मक प्रावधानों सहित अन्य वैधानिक उपायों का प्रभावी उपयोग करने को कहा गया। साइबर अपराधों के मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज कर अधिकाधिक पीड़ितों को राहत पहुंचाने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राजस्थान की आर्द्रभूमियों की पहचान और संरक्षण करे सरकार : एनजीटी

भोपाल/जयपुर (कासं)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल ने राजस्थान सरकार को राज्य की आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन, अधिसूचना और संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कर चार सप्ताह में कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को होगी। यह आदेश मूल आवेदन संख्या 225/2026 (सीजेड) में 9 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति श्योकुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पारित किया। अधिकरण ने आनंद आर्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर 2024 के आदेश का भी उल्लेख किया।एनजीटी ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एसएसी) के वर्ष 2021 के एटलस में चिह्नित आर्द्रभूमियों का स्थलीय सत्यापन कर उनकी सीमाएं निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी आर्द्रभूमियों के बफर जोन और प्रभाव क्षेत्र को अंतिम रूप देने तथा अब तक अधिसूचित नहीं हुई आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन और अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।